महत्वपूर्ण एवं खास

कोसीर पुलिस की जुआ एक्ट की कार्यवाही

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना कोसीर स्टाफ द्वारा दिनांक 23.12.2019 के दोपहर मुखबिर सूचना पर ग्राम लेन्ध्रा मंक दलाल रोड नाला किनारे खेत में 52 पत्ती तास से जुआ खेल रहे लोगों को पकड़ने घेराबंदी किये कुछ लोग पुलिस को देखकर भाग गये। मौके पर (1) लवकुमार साहू पिता ईश्वर प्रसाद साहू उम्र 19 वर्ष ग्राम खम्हारडीह थाना सारंगढ़ (2) संतोष निषाद पिता बिहारी निषाद उम्र 21 वर्ष ग्राम खम्हारडीह थाना सारंगढ़ (3) गोविंद भारद्वाज पिता रामरतन उम्र 25 वर्ष ग्राम उदयपुर (डौकीजोर)थाना कोसीर (4) रामसिंह खुंटे पिता दिलप्रसाद खुंटे उम्र 39 वर्ष ग्राम उदयपुर (डौकीजोर)थाना कोसीर पकड़े गये जिनके फड एंव पास से नगदी कुल 2120/- रू, 52 पत्ती तास एवं प्लास्टिक बोरी जप्त किया गया है। जुआडियान पर थाना कोसीर में 13 जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।

डायल 112 इवेंट...

न्याय साक्षी/रायगढ़

मोटरसाइकिल से गिरकर घायल हुए लोगों को मिली सहायता

दिनांक 24.12.2019 के सुबह 10:40 बजे कोतवाली (जुटमिल) राइनो को गढउमरिया के पास रोड एक्सीडेंट का इवेंट मिला। इवेंट पर मौके पर पहुंचे आरक्षक कीर्तन यादव व प्रकाश गिरी ने देखा कि एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग सवार - पप्पू सारथी पिता तिहारू सारथी उम्र 30 साल, आर्यन सारथी पिता ठेकेदाउ सारथी उम्र 9 साल, सेमसागर थी पिता सन्यासी सारथी उम्र करीब 12 वर्ष सभी निवासी जोगीडीपा रायगढ़ सड़क के किनारे खेत में गिरे हुए थे। पूछताछ पर बताया कि पुसौर जाते समय मोटरसाइकिल अनियंत्रित होने से गिरे हैं। तीनों घायलों को डायल 112 स्टाफ द्वारा ईआरवी वाहन से इलाज के लिए किरोडीमल शासकीय अस्पताल रायगढ़ में भर्ती कराया गया है।

प्रसव पीड़िता को पुहंचाया अस्पताल

ग्राम कोकबहाल थाना डोंगरीपाली में रहने वाली श्रीमती पुष्पा कुमारी पति खीर सागर उम्र 30 साल को प्रसव पीड़ा होने पर घर वालों ने मेडिकल इमरजेंसी का इवेंट आज दोपहर करीब 3:00 बजे डायल 112 को दिया गया। डायल 112 कमान कंट्रोल रायपुर द्वारा डोंगरीपाली राइनो को मेडिकल इमरजेंसी का इवेंट दिया गया। आरक्षक किशोर एक्का द्वारा पीड़िता को ईआरवी वाहन से सीएससी डोंगरीपाली लाकर भर्ती कराया गया है।

नवापारा, खरसिया के पास दो मोटरसाइकिल भिड़े, 112 की मिली सहायता

आज दिनांक 24.12. 2019 के दोपहर 15:40 बजे खरसिया राइनो को नवापारा के पास रोड एक्सीडेंट का इवेंट मिला। मौके पर पहुंचे आरक्षक मुकेश कुमार ने देखा कि एक मोटरसाइकिल का चालक सत्यजीत सिंह पिता परमानंद सिंह उम्र 19 साल निवासी मसनियाखुर्द तथा दूसरे मोटरसाइकिल का चालक विनोद उरांव पिता दल्लू राम उरांव उम्र 19 साल निवासी सरवानी की मोटरसाइकिलें आपस में टकराए हुए थे। जिसके कारण दोनों को कई जगह चोटें आई थी। दोनों आहतों को आरक्षक द्वारा ईआरवी वाहन में बिठाकर खरसिया सीएचसी में भर्ती कराया गया है।

अकेली स्टेशन के पास घूम रही युवती को डायल 112 ने पहुंचाया उसके घर

न्याय साक्षी/रायगढ़। सिवनी चांपा में रहने वाली 25 वर्षीय विवाहिता दिनांक 23.12.2019 के शाम करीब 6:00 बजे अकेली रेल्वे स्टेशन के पास लाला जलपान दुकान के समीप अकेली बैठी थी जिसे अकेली बैठी देखकर वहां के दुकानदारों ने कंट्रोल रूम प्रभारी ए.एस.आई प्रेमसाय भगत को जानकारी दिये। एएसआई प्रेमसाय भगत द्वारा कोतवाली राइनो के लिए इवेंट क्रिएट कर सूचना दिए। सूचना पर कोतवाली लाइनों में आरक्षक फेड्रिक कुजूर मौके पर पहुंचा। डायल 112 स्टॉफ द्वारा युवती तथा दुकानदारों से पूछताछ करने पर जानकारी मिली की युवती की छह-सात माह पहले हुई है जिसका मायके राऊलकेला उड़ीसा है। पति से मनमुटाव होने पर चांपा से ट्रेन में बैठकर रायगढ़ आ गई थी और होटल में काम मांग रही थी , जिसकी जानकारी होने पर वहां के जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा कंट्रोल रूम प्रभारी को सूचना दिया गया। डॉयल 112 स्टाफ द्वारा थाना कोतवाली से महिला स्टॉफ बुलाकर महिला को सखी सेंटर लेकर गए। जहां से उसके परिजनों को सूचित कर महिला को वापस उसके ससुराल भेजने की कार्यवाही की गई।

अलग-अलग घटना में शादी का प्रलोभन देकर दो युवतियों से दुष्कर्म, रिपोर्ट दर्ज

» थाना चक्रधर नगर व थाना पूंजीपथरा में जुर्म दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना चक्रधरनगर में दिनांक 23.12.19 को 23 वर्षीय युवती द्वारा सूरज उरांव पिता रामधारी उरांव निवासी ग्राम पतरेपाली खुर्द सक्ती के विरूद्ध शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाने की रिपोर्ट दर्ज करायी है। पीडिता ने बताया कि वर्ष 2015 में सूरज कुमार उरांव से शादी कार्यक्रम में जान पहचान हुई। उसके बाद दोनों एक-दूसरे से मोबाईल पर बातचीत करते थे। माह अगस्त 2015 में सूरज उरांव रायगढ़ आया था और उसने युवती को इंदिरा विहार के पास मिलने के लिए बुलाया और उसे शादी करूंगा कहकर इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाया। उसके बाद से कई बार उसके साथ विवाह करूंगा कहकर संबंध बनाता था। युवती को जब जानकारी हुई कि सूरज उरांव किसी और लड़की से सगाई कर लिया है तो उसने सूरज पर शादी का दबाव बनाई तो सूरज शादी करने से साफ इंकार कर दिया। युवती द्वारा सूरज उरांव के विरूद्ध कार्यवाही के लिये थाना चक्रधर नगर में आवेदन पत्र दिया गया है, जिस पर अप.क्र. 455/19 धारा 376 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

वहीं दूसरी घटना में थाना पूंजीपथरा में दिनांक 24.12.19 को 20 वर्षीय युवती ने तुमीडीह, पूंजीपथरा में रहने वाले सुनील साहू पिता वरूण साहू उम्र 20 वर्ष के विरूद्ध शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज करायी है। युवती बतायी कि जहां यह किराये मकान में रहती थी, वह सुनील साहू के फूफा का था। सुनील साहू का वहां आना जाना था , जिससे दोनों एक दूसरे से बातचीत करते थे। 15 नवंबर 2018 को सुनील साहू अपने फुफा के दूसरे मकान में युवती को ले जाकर शादी करूंगा कहकर शारीरिक संबंध बनाया। उसके बाद कई बार युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाया। इस बीच गर्भवती हो गयी जिसकी जानकारी सुनील साहू को होने पर भी शादी की बात पर टाल मटोल करता था। नवंबर 2019 को युवती एक लड़की को जन्म दी है। तब से सुनील साहू घर छोडकर भाग गया है। युवती के रिपोर्ट पर थाना पूंजीपथरा में आरोपी सुनील साहू के विरूद्ध अप.क्र. 246/19 धारा 376,493 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी फरार है,जिसकी पतासाजी की जा रही है।

गर्भवती महिला को डायल 112 ने पहुंचाया अस्पताल

न्याय साक्षी/रायगढ़। कोतवाली राइनो-1 को दिनांक 24.12.19 की रात्रि करीब 23:30 बजे किरोडीमलनगर में प्रसव पीड़ा से तड़प रही महिला के लिये उसके पति द्वारा डॉयल 112 को मेडिकल इमरजेंसी का इवेंट दिया गया। इवेंट पर किरोडीमलनगर पहुंचे आरक्षक सुरेश मिंज, थाना कोतवाली को कॉलर/महिला के पति ने बताया कि उसकी पत्नी को प्रसव के कारण बहुत ज्यादा पेट दर्द हो रहा है, गाड़ी बुलाने का प्रयास किये मिल नहीं मिल रही है , इसलिये 112 को कॉल किये। आरक्षक सुरेश मिंज द्वारा महिला श्रीमती भारती महंत उम्र 32 वर्ष को ईआरवी वाहन में बिठाकर के.जी.एच. लेकर आया जहां रात्रि 03.00 बजे महिला ने 2.400 केजी की स्वस्थ्य लड़की को जन्म दी है। प्रसूता एवं कॉलर ने आरक्षक सुरेश मिंज व ईआरवी चालक को रात्रि हॉस्पीटल बुलाकर धन्यवाद दिये।

खड़ी ट्रक से डीजल चोरी करते पकड़ा गया चोर भेजा गया रिमांड पर

महज 370 रूपये के डीजल चोरी का है जुर्म

न्याय साक्षी/रायगढ़। महज 5 लीटर डीजल कीमत 370रूपये की चोरी करना आरोपी को उस समय काफी महंगा पड़ा जब उसे ट्रक का चालक दौड़ाकर पकड़ा और अपने मालिक के साथ पूंजीपथरा पुलिस के सुपुर्द किया।

जानकारी के अनुसार दिनांक 23.12.19 की रात्रि ट्रक क्रमांक सीजी13डी 2586 का चालक चुन्नू कुमार रवि, ट्रक को राधे कृष्ण पेट्रोल पंप तराईमाल पूंजीपथरा के पास खडा कर वाहन में सो रहा था कि रात्रि करीब 11.30 बजे एक व्यक्ति ट्रक के डीजल टैंक को खोल कर टैंक से करीब 05-06 लीटर डीजल को चोरी कर भाग रहा था जिसे चुन्नू कुमार रवि अचानक उठा और व्यक्ति को भागते हुए देखकर दौडाकर पकडा , व्यक्ति ने अपना नाम हेमंत सिंह, जूटमिल का रहने वाला बताया। हेमंत पूर्व में ड्रायवर का काम करता था।

ट्रक के चालक ने डीजल चोरी की जानकारी अपने ट्रक मालिक व ट्रकों की देखभाल करने वाले पप्पू सिंह पिता रंजित सिंह उम्र 25 वर्ष सा0 लोहरा पारा गेरवानी को दिया। पप्पू सिंह द्वारा डीजल चोरी की रिपोर्ट आज थाना पूंजीपथरा में दर्ज कराया गया है, रिपोर्ट पर आरोपी हेमंत सिंह पिता ज्ञान सिंह 28 साल निवासी छिवईयां थाना झूंसी जिला इलाहाबाद उ0 प्र0 हाल मुकाम लेबर कालोनी कुली लाईन जुटमिल थाना कोतवाली रायगढ़ के विरूद्ध अप.क्र. 244/19 धारा 379 भादंवि दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर आज रिमांड पर भेजा गया है।

भिक्षुक राम की समाधि पर बाबा प्रियदर्शनराम ने अर्पित की पुष्पांजलि

न्याय साक्षी/रायगढ़। आज अपरान्ह अघोर गुरु ट्रस्ट बनोरा के पीठाधीश्वर बाबा प्रियदर्शी राम जी ने बाबा भिक्षुक राम जी के समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित किये इस दौरान शहर के गणमान्य नागरिको सहित राजनैतिक पार्टियों सहित मीडिया से जुड़े हस्तियों ने भी बाबा प्रियदर्शी राम जी से आशीर्वाद ग्रहण किया। विदित हो कि बाबा भिक्षुक राम जी को परम पूज्य अघोरेश्वर का सानिध्य हासिल रहा। उंन्हे अघोरेश्वर के सानिध्य में आत्मसाक्षात्कार हासिल हुआ। उन्होंने अपनी साधना पूर्ण कर यत्र तत्र भ्रमणरत रहे। इस बीच पूज्य बाबा का भ्रमण के दौरान रायगढ़ आगमन हुआ। उनके आग्रह पर गौशाला पारा पुलिस लाइन में छोटी कुटिया का निर्माण किया गया। यही पर पूज्यश्री ने साधना करते हुए सिद्धियों को हासिल किया जब परम पूज्य भिक्षुक बाबा के गुरुदेव परम पूज्य अघोरेश्वर भगवान राम जी का महानिर्वाण हुआ उस समय भिक्षुक राम जी बनारस में थे परम पूज्य अघोरेश्वर के महा निर्माण के पश्चात 25 दिसंबर 1992 को उन्होंने समाधि ग्रहण कर ली पूज्य बाबा का निर्देश पर उनके पार्थिव शरीर को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया गया। उनकी स्मृति में रायगढ़ में एक समाधि स्थल का निर्माण कराया गया और उसी निर्माण दिवस को हर साल मनाते हुए 25 दिसंबर को भंडारे का आयोजन किया जाता है 1993 से अनवरत भंडार एवं पूजन का आयोजन किया जाता है। उनके कर कमलों द्वारा निर्मित कुटिया आज भी उसी स्थान पर उसी स्वरूप में यथा वत है। इस समाधि स्थल पर प्रति वर्ष पूज्य प्रियदर्शी राम जी आगमन होता है।

सूने मकान का ताला तोड़कर चोरी

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना चक्रधरनगर अन्तर्गत टी.व्ही. टावर रोड़ छोटे अतरमुड़ा रायगढ में किराये मकान पर रहने वाले सुधाकर राव जड़ित 36 वर्ष छ.ग. राज्य विद्युत मंडल रायगढ में सहायक ग्रेट -3 के पद पर पदस्थ है। दिनांक 21.12.2019 को सुबह सुधाकर राव जड़ित अपने छोटे अतरमुड़ा के किराये मकान में ताला बंद कर पूरे परिवार के साथ घरेलू काम से मूल निवास बिलासपुर गये हुये थे। कल दिनांक 23.12.2019 को रात करीब 08:00 बजे वापस आये तो देखे घर का मुख्य दरवाजा का ताला टूटा हुआ था तथा घर के भीतर आलमारी खुली हुई थी। आलमारी को चेक करने पर एक नग सोने के अंगूठी, 2 नग पैर का पायल, 4 नग चांदी का सिक्का, नगदी रकम 49600 रूपये जुमला किमती करीबन 54000 रूपय नहीं था, कोई अज्ञात चोर दिनांक 21 से 23.12.2019 के बीच रात्रि में घर का ताला तोड़कर चोरी कर ले गया था। चोरी की रिपोर्ट पर थाना चक्रधरनगर में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 457/19 धारा 457,380 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

अज्ञात व्यक्ति ने स्कार्पियो वाहन में लगाई आग, जुर्म दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना खरसिया अन्तर्गत दिनांक 24.12.2019 को ग्राम चपले में रहने वाले अशोक कुमार पटेल द्वारा उसके घर के बाहर खड़ी स्कार्पियो वाहन में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा आग लगाने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। रिपोर्टकर्ता ने बताया कि करीब 02 माह पहले सेकण्ड हैण्ड स्कार्पियो रजिस्ट्रेशन नंबर सीजी 13 जेड 5967 को कोरबा से 9,70,000 रूपये में खरीदा था जिसका उपयोग कर रहा था कि दिनांक 23.12.19 को रात्रि में अपनी स्कर्पियो को अपने घर आँगन में खड़ा किया था रात्रि करीब डेढ बजे स्कार्पियो के टायर में आग लगने से फूटने पर आवाज हुआ तो उठकर देखा स्कार्पियो वाहन के बोनेट, इंजन और पीछे आग जल रही थी जिसे पानी डालकर बुझाया। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा रात्रि में स्कार्पियो में आग लगाकर जला दिया गया था, रिपोर्ट पर थाना खरसिया में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 541/19 धारा 435 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

घर घुंसकर महिला से छेड़खानी, जुर्म दर्ज

न्याय साक्षी/ रायगढ़। थाना चक्रधरनगर में दिनांक 24.12.19 को 36 वर्षीय महिला द्वारा गांव के प्रेम शंकर तुरी द्वारा घर घुसकर छेड़खानी करने की रिपोर्ट दर्ज करायी है, पीडिता ने बताया कि कल दिनांक 23.12.2019 को इसका पति सुबह करीब 08:00 बजे अपने बहन के घर गया हुआ था। पीडिता अपने बच्चों के साथ घर पर थी। रात्रि करीब 12:00 बजे घर के सामने खुले स्थान पर पेशाब करने गई थी, उसी समय इसके घर के सामने रहने वाला प्रेम शंकर तुरी आकर बेईज्जती करने के नियत से पकड़ लिया तो चिल्लोई आवाज सुनकर इसकी बेटी उठी तो प्रेम शंकर तुरी भाग गया। महिला अपने बच्चों को लेकर अपने माता पिता के घर गई और घटना की जानकारी दी। पीडिता आज थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई है, रिपोर्ट पर अप.क्र. 458/19 धारा 354 भादंवि का अपराध आरोपी प्रेम शंकर तुरी के विरूद्ध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480